



65

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र०)

R 4267 PBR/16

- 1- श्रीमती मधु पति योगेश, जाति- अग्रवाल, आयु 45 वर्ष
धंधा-व्यापार, निवासी डाक बंगले के सामने
मगजपुरा धार म0प्र०
- 2- मातेश्वरी गार्डन, द्वारा प्रोपायटर:-
श्रीमती मधु पति योगेश, जाति अग्रवाल
निवासी त्रिमूर्ति नगर धार जिला धारनिगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र० शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार

विपक्षी

837

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र० भूरासं 1959 मुजब

(अनुविभागीय अधिकारी नगर क्षेत्र धार के सूचना पत्र क्रमांक
1767 / भूअभि / नजूल / 2016 दिनांक 23/07/2016 से असंतुष्ट होकर)

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि धार शहर नगर पालिका क्षेत्र में निगरानीकर्ता की विधिवत ग्राम मगजपुरा तहसील व जिला धार में स्थित विधिवत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि सर्वे नंबर 41/3 पैकि रकबा 0.047 हैक्टर व सर्वे नंबर 41/4/3 पैकि रकबा 0.253 हैक्टर पर व्यवसायिक कार्य रहा है एक अरसे कर रहा है बरसो से कर रहा है। उक्त भूमि पर विधिक रूप से सर्व अनुमति प्राप्त कर मातेश्वर गार्डन के रूप में व्यवसाय का संचालन करता है, जिसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी धार, तहसील धार व नगर पालिका धार को भी है किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं रहा है न रहने का प्रश्न है कुछ राजनितिक दबाव के कारण अनुविभागीय अधिकारी धार ने सूचना पत्र क्रमांक 1767 / भू.अभि. / नजूल / 2016 में यथाकथित सूचना आदि का उल्लेख कर नोटिस दिया है जो विचाराधिकार रहित है अवैध है जबकि उनके यहां पूर्व से दस्तावेजी प्रमाण मोजुद है। सभी विधिक को बिना सूचना के वे बिना साक्ष्य लिये बिना किसी प्रकार के प्रमाण के विचाराधिकार रहित तौर पर कार्यवाही प्रारंभ कर रहे हैं जो विचाराधिकार रहित है। नकल बाबद अर्जी दी है जिस पर से नकल में मिसल भेजी नहीं है असल प्रपत्र पेश है दिनांक 23.07.2016 का है और प्रकरण नं. बिना कुट परीक्षण का मौका दिये है दिनांक 19/12/2016 को जिसकी इंतिहास की नकल हनने नामी है नहीं दी जाएगी।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4267-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। M0P0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> </p>	